

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना

पटना/दिनांक 06/03/2025

सं०सं०— 01/रा.स्था.एम.ए.सी.पी.—111/2024 सह. 1118..... श्री अशोक कुमार रजक, तत्कालीन उप निबंधक, सं०सं०, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सं०सं०, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या— 3536, दिनांक— 26.10.2018 द्वारा संसूचित "निन्दन" के दण्ड का कुप्रभाव दिनांक— 31.03.2013 तक रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या— 2949, दिनांक— 17.10.2023 द्वारा श्री रजक को दिनांक— 01.04.2012 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी.पी के लाभ को संशोधित करते हुए दिनांक— 01.04.2013 के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(स्मृति कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/
सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1118...../पटना, दिनांक 06/03/2025.....

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), बिहार/सभी सम्बंधित पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/03/2025

सरकार के उप सचिव।